(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

<u>अधिसूचना</u>

सं. 41/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक, 29 अगस्त, 2017

सा.का.नि. (अ)- जबकि कि पदनामित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उदगमित अथवा वहां से निर्यात की गई तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाले "मेट्रोनिजोल" पर, दिनांक 30 अगस्त, 2012 की सा0का0नि0 सं. 657 (अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 30 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. 40/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (।) और (5) की शर्तों के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुक्रम में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।, खंड 1 में दिनांक 29 अगस्त, 2017 को प्रकाशित दिनांक 29 अगस्त, 2017 के अधिसूचना सं0 7/06/2017- डीजीएडी के अंतर्गत समीक्षा प्रारंभ की ।

और जबकि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने रिट याचिका संख्या 7464/2017 में दिनांक, 29 अगस्त, 2017 को आदेश दिया कि, दिनांक 30 अगस्त, 2012 की सा0का0नि0 सं. 657 (अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 30 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. 40/2012-सीमा शुल्क (एडीडी), पदनामित प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के समापन तक किन्तु सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (।) और (5) की शर्तों के अनुसार, एक साल तक लागू रहेगा ।

अब उपयुक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपयुक्त नियमों के नियम 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतदद्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 657 (अ) के अंतर्गत दिनांक 30 अगस्त, 2012 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 30 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमा शुल्क(एडीडी) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उपर्युक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात तथा स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

”3. पैराग्राफ 2 में विहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना पदनामित प्राधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1 में दिनांक 29 अगस्त, 2017 को प्रकाशित दिनांक 29 अगस्त, 2017 के अधिसूचना सं0 7/06/2017- डीजीएडी के अंतर्गत समीक्षा के समापन तक या 28 अगस्त, 2017 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, इनमें से जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी, यदि इसे पहले रदद नहीं कर दिया जाए ।

(फा सं0 354/17/2000-टीआरयू भाग-III)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं0-40/2012-सीमा शुल्क (एडीडी), 30 अगस्त, 2012, सा0का0नि0 657 (अ) दिनांक 30 अगस्त, 2012 में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी । इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 19/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 19 मई, 2016 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा0का0नि0 534(अ), तारीख 19 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।